कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, परियोजना भण्डार खण्ड विनोवा नगर जूही कानपुर।

सूचना का अधिकार अधिनियम का समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन के सम्बन्ध में 16 बिन्दुओं पर आख्या:—

क0	बिन्दु	उत्तर
1	2	3
1.	अपने संगठन की विषिष्टयों, कृत्य और कर्तव्य	परियोजना भण्डार खण्ड कानपुर, सामग्री प्रबन्ध प्रकोष्ठ लखनऊ के अधीनस्थ कार्यरत खण्ड है। इस खण्ड का मुख्य कार्य पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बुन्देल खण्ड क्षेत्र में स्थित सिंचाई विभाग के विभिन्न खण्डों को निर्माण सामग्री यथा इस्पात एवं सीमेन्ट उपलब्ध कराना है। विभिन्न खण्डों द्वारा उनकी अपनी सीमेन्ट एवं स्टील की आवश्यकता के अनुसार धनराशि इस खण्ड को उपलब्ध कराई जाती है एवं उसी धनराशि से सम्बन्धित खण्ड को स्टील एवं सीमेन्ट की व्यवस्था की जाती है। इस खण्ड को, कार्यो हेतु, अलग से कोई बजट आवंटन नहीं होता है। इस खण्ड के अन्तर्गत कार्यो के सम्पादन हेतु तीन उपखण्ड कार्यरत है। प्रथम उपखण्ड मुख्यालय लखनऊ, द्वितीय उपखण्ड कानपुर, तथा तृतीय उपखण्ड इलाहाबाद में स्थित है। इस खण्ड के अन्तर्गत, कानपुर, मल्हौर(लखनऊ),इलाहाबाद एवं मिर्जापुर स्टील के भंडारण की व्यवस्था उपलब्ध है। खण्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान शासन द्वारा आवंटित अधिष्ठान बजट से होता है तथा बजट के साप्रेक्ष वेतन अहारण कानपुर नगर कोषागार से किया जाता है।
2.	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।	
	1. अधिशासी अभियन्ता	खण्ड के अन्तर्गत उपखण्डों के समस्त कार्यो का नियंत्रण।
	2. सहायक अभियन्ता 1/2/3	उपखण्ड के अन्तर्गत आवंटित कार्यो का सम्पादन।
	3. खण्डीय लेखाकार	वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड–6 के पैरा 98 में निहित मुख्यतः लेखाओ का संग्रहकर्ता तथा बाउचर्स इत्यादि की जांचकर्ता एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यो का सम्पादन।
	4. अवर अभियन्ता	विभिन्न खण्डों को सीमेट एवं स्टील निर्गत करना।
	5. अनुसचिवीय अधिष्ठान	कार्यालय के पत्रावलियों का सम्पादन एवं अभिलेखों का रखरखाव ।
	6. ड्राइंग स्टाफ	ड्राइंग सम्बन्धी कार्यो का सम्पादन।
	7. चतुर्थश्रेणी	अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन।
3.	विनिश्चय करने की प्रकिया से पालन की जाने वाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	उपखण्ड में कराये गये कार्यो का निरीक्षण तथा कार्यो की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना/कराना।
4.	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देल खण्ड में स्थित सिंचाई विभाग के विभिन्न खण्डों को उनकी मॉग के अनुरूप स्टील एवं सीमेन्ट की व्यवस्था कर उन्हें समय से उपलब्ध कराना।
5.	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निवर्हन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	विभाग में उ0प्र0 राज्य सरकार कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली लागू है। कार्यो के सम्पादन के लिए विभाग के मैनुअल है। वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधान एवं शासन व प्रमुख अभियन्ता/मु0अ0स0/अधी0अभि0द्वारा जारी शासनादेशों/आदेशों का पालन करने हेतु अधीनस्थ उपखंडीय अधिकारियों को निर्देषित कर पालन सुनिष्चित कराना। स्टाक सामग्री के अभिलेखों का रखरखाव नियमों के अनुसार किया जाना तथा अधीनस्थ सहा0अभियन्ताओं को तदानुसार निर्देशित करना।